Statement

State-wise Population of Tiger, Elephant and Lion

Sl. No.	Name of State	Tiger (1993)	*Population of* Elephant (1993)		Lion 1995)
			min.	*max.*	
1.	Andhra Pradesh	197	46	46	—
2.	Goa	3	—	—	—
3.	Bihar	137	500	600	—
4.	Mizoram	28	—	—	—
5.	Orissa	226	1500	2000	—
6.	Rajasthan	64	—	—	—
7.	Gujarat	5	—	—	304
8.	Maharashtra	276	—	—	—
9.	Karnataka	305	5000	6000	—
10.	Meghalaya	53	2500	3000	—
11.	Uttar Pradesh	465	752	1000	—
12.	Arunachal Pradesh	180	2000	3000	—
13.	Madhya Pradesh	912	—	—	—
14.	Kerala	57	3000	4000	—
15.	Tamil Nadu	97	2300	2500	—
16.	West Bengal	335	200	200	—
17.	Assam	325	5000	6000	—
18.	Nagaland	83	—	—	—
19.	Sikkim	2	—	—	—
20.	Manipur	—	—	—	—
	Total	3750	22796	28346	304

(--) Report not recieved.

पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विदेशों के साथ समझौते

4488. **श्रीमती आनंदी ज० पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यारण संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत ने किन-किन देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) उन समझौते से भारत के पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर क्या असर पड़ेगा और इन समझौतों का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सौज़) (क) भारत के कई देशों के साथ पर्यावरण के संबंध में द्विपक्षीय प्रबंध है। तथापि, भारत ने चीन और रूस के साथ पर्यावरण पर करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) भारतीय पर्यावरण से संबंधित मामलों पर इन करारों के संभावित प्रभाव ये हैं कि पर्यावरण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को वैज्ञानिक कार्मिकों के दौरों का आदान-प्रदान, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकी के अन्तरण को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। पूरे ब्यौरे करारों में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संलग्न हैं।

विवरण

चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच पर्यावरणीय सहयोग संबंधी करार।

चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इस करार में इस के बाद पक्षकार कहा गया है।)

इस बात को स्वीकार करते हुए कि तात्विक विकास और पर्यावरण की बेहतरी ऐसे मुद्दे हैं जो आर्थिक विकास और जन कल्याण को प्रभावित करते हैं:

यह देखते हुए कि पर्यावरण संबंधी सार्वभौम वार्ताओं में और पर्वत विकास के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विनिमय और सहयोग की गतिविधियां चल रही हैं:

पारस्परिक लाभ के लिए पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्रों में इस सहयोग को बढ़ाने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-एक

चीन लोक गणराज्य की राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी और भारत गणराज्य की सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय इस करार के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

अनुच्छेद-दो

दोनों पक्षकार समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग करते रहेंगे और उसे बढ़ायेंगे।

अनुच्छेद-तीन

इस करार के तहत अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उच्च प्राथमिकता वाले निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा:

1. पर्यावरण से संबंद्ध सार्वभौम विषय जिसमें जैविकी विविधता का परिरक्षण, जलवायु में सार्वभौम परिवर्तन और ओजोन परत की रक्षा भी शामिल हैं;

2. अपशिष्ट प्रबन्ध;

3. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण, जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जल गुणवत्ता परिरक्षण, गुणवत्ता परिरक्षण, डिब्बाबंदी, ठोस अपशिष्ट का पुनश्चक्रम, घोर हानिकारक अपशिष्ट से संबद्ध विषय और तात्कालिक कार्यवाही की अपेक्षा रखने वाले विषयों पर बल दिया जाना भी शामिल हैं।

4. पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया और तत्संबंधी अनुभव;

5. पर्यावरणीय परिरक्षा उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंध;

6. पर्यावरण संबंधी विषयों की ओर से जनता में जागरुकता लाना और इसके बारे में उन्हें शिक्षित करना;

7. वन्यजीवन संरक्षण, जिसमें वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की उन प्रजातियों के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनका आस्तित्व संकट में पड़ गया है;

8. पर्यावरण से संबंद्ध कानून और उनका प्रवर्तन;

9. कोई भी ऐसा अन्य क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षकारों के बीच सहमति हो जाए।

अनुच्छेद-चार

इस करार के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों के जरिए सहयोग किया जाएगा:

1. वैज्ञानिकों, विद्वानों, विशेषज्ञों और पर्यावरणीय प्रबन्ध कार्मिकों का आदान-प्रदान:

2. उपर्युक्त अनुच्छेद—3 में बताए गए क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान;

3. पारस्परिक हित के विषयों पर सहयोगात्मक अनुसंधान जिसमें दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ नमूनों, रिजेंटों, सामग्री, आंकड़ों, जांच मूल्यांकन एवं अन्य प्रयोजनों में काम आने वाले उपकरणों और अवयवों का परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार आदान-प्रदान करेंगे और एक दूसरे को देंगे;

4. संगोष्ठियों, गोष्ठियों, व्याख्यानों और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संयुक्त रूप से आयोजन;

5. सहयोग के परस्पर सहमत अन्य उपाय जिनमें तयशुदा क्षेत्रों में सहयोग के ठोस कार्यक्रमों को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रोतोकोल संपन्न करना भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-पांच

दोनों पक्षकार अन्य सरकारी स्तरों अथवा संगठणात्मक निकायों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थाओं आदि के बीच संम्पर्क और सहयोग के विकास को प्रोत्साहित करेंगे और सुविधाजनक बनाएंगे तथा इन गतिविधियों के कार्यान्वयन मे समन्वय करेंगे।

अनुच्छेद-छह

1. प्रत्येक पक्षकार इस करार के अंतर्गत की गई सहयोगी गतिविधियों से प्राप्त बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के आवंटन का अपने-अपने देश में निश्चय करेंगे,

2. किसी तीसरे देश बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के आवंटन के बारे में दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे जब तक कि किसी विशिष्ट परियोजना प्रबन्ध में इससे इतर व्यवस्था न की गई हो।

अनुच्छेद-सात

जब तक दोनों पक्षकारों के बीच कोई अन्य प्रबंध न किया गया हो, इस प्रकार के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक गतिविधियों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रेषक पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा। देश के भीतर होने वाले व्यय को प्राप्त कर्ता पक्षकार द्वारा पारस्परिक आधार पर वहन किया जाएगा,

2. सिद्धान्त रूप में, भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनके प्रवास की अवधि (व्यक्ति/माह पर आधारित) समान और पारस्परिक आधार पर होगी। अगर कभी पारस्परिकता के सिद्धान्त पर अमल कठिन हो, तो। दोनों पक्षकार संतोषजनक समाधान निकालने के लिए उस मामले पर परस्पर चर्चा करेंगे।

अनुच्छेद-आठ

इस करार में जिस आदान-प्रदान और सहयोगी गतिविधियों का प्रावधान है उसकी शर्तें दोनों पक्षकारों के कानूनों और विनियमों के अधीन होंगी और दोनों पक्षकारों के उपयुक्त अधिकारियों के बीच लिखित में तय की जाएंगी।

अनुच्छेद-नौ

दोनों पक्षकार अपने-अपने संगठनों के प्रमुखों को दो-दों वर्ष में एक बार रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें कार्य योजना में निहित सहयोगी परियोजनाओं की प्रगति का सार-संक्षेप देंगे तथा अतिरिक्त परियोजनाओं के संभावित अवसरों का उल्लेख करेंगे।

अनुच्छेद-दस

यह करार इस पर हस्ताक्षर होने के बाद लागू हो जाएगा। प्रारम्भ में यह पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। कोई भी पक्ष छः महीने का लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकता है। इसे दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार्य अतिरिक्त अवधि के लिए परस्पर सहमति से नवीकृत किया जा सकता है। इस करार की समाप्ति से इसके तहत शुरु की गई उन विशिष्ट गतिविधियों अथवा प्रबंन्धों या उनकी वैयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस समाप्त करने के वक्त तक पूरे न हुए हों।

अनुच्छेद-ग्यारह

दोनों पक्षकारों की लिखित परस्परिक सहमति से इस करार को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

बीजिंग में आज ईसवी सन् 1993 के सितम्बर मास के 7 वें दिन चीनी, हिन्दी, और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में संपत्र हुआ जिसका प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रमाणिक है। मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

चीन लोक गणराज्य की सरकार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

रूस संघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार

भारत गणराज्य और रूस संघ की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात पक्षकार देश कहा जाएगा)

पर्यावरण की स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दोनों देशों की गहरी चिंता व्यक्त करते हुए

पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा इसे अवक्रमण। प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचाने के लिए काफी महत्व देते हुए,

भारत और रूस के सतत् विकास को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रभावी उपाय करने अपेक्षित है,

जून, 1992 में रियो डि जैनरों में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अपनाए गए प्रलेखों को ध्यान में रखते हुए,

भारत गणराज्य और रूस के बीच दिनांक 28

जनवरी, 1993 को मित्रता और सहयोग की संधि के सिद्धांतों और उद्देश्यों के मार्गनिर्देशों में,

पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा प्राकृतिक संसधानों के युक्तिसंगत उपयोग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ एवं दीर्घकालीन सहयोग की स्थापना और उसे बढ़ाने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं,

अनुच्छेद-1

पक्षकार देश समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा और पराकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 2

निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा,

—जलवायु, परिवर्तन, समतापमंडलीय ओजोन परत की सुरक्षा और जैविक विविधता के संरक्षण सहित विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याएं,

—नदियों, झीलों सहित जल संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन तथा जल भंडारण एवं शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों का विकास,

—वायुमंडल की सुरक्षा,

—स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर सूचना के आदान-प्रदान सहित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण,

—पर्यावरण के साथ उनके अन्त संबंध के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रबंधन एवं अनुकूल उपयोग,

—पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरणीय मामलों पर जनजागरुकता को बढ़ावा देना,

—बार्धो साइबेरियाई सारसों की सुरक्षा सहित वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की सुरक्षा, संकटापन्न प्रजातियों प्रजातियों के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देना तथा विशेष सुरक्षा क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं प्राकृतिक अभायण्यों की सुरक्षा,

—पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय,

—शहरों एवं अन्य वासस्थलों में पर्यावरण की सुरक्षा;

—परिस्थितिकीय विपदाओं के लिए आपातकालीन सुरक्षा;

—सहयोग का कोई अन्य विषय जिस पर परस्पर रूप से सहमति हो।

ऊपर वर्णित क्षेत्रों में सहयोग करके दोनों पक्षकार स्थापना आदेश के अनुसार प्रदूषण निवारण, पर्यावरण सुधार एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप करेंगे।

अनुच्छेद तीन

दोनों पक्षकार देशों के बीच निम्नलिखित रूप से सहयोग किया जायेगा:

—संयुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी परियोजनाओं के तैयार करना और उनका कार्यान्वयन;

—वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना, प्रलेख एवं अनुसंधान के परिणामों तथा पर्यावरण की स्थिति पर सूचना का आदान प्रदान;

पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान;

द्विपक्षीय बैठकें तथा संगोष्ठियों आयोजित करना तथा कागजातों, लेखों और निबंधों का प्रकाशन;

—दोनों देशों में पर्यारण और परिस्थितिकी की समस्याओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों में अन्तरराष्ट्रीय पक्षकार देशों से विशेषज्ञों की सहभागिता;

—कोई भी ऐसा अन्य क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षकारों के बीच सहमति हो जाए।

अनुच्छेद चार

पक्षकार देश वर्तमान करार के उद्देश्यों की कार्यवाही से दोनों देशों के राज्यों, जनता और निजी संस्थाओं तथा संगठनों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क करने और उसे विकसित करने के लिए बढ़ावा देगें।

अनुच्छेद पांच

वर्तमान करार के अन्तर्गत समन्वय के लिए उत्तरदाई नाडल एजेंसियां: भारत में भारत गणराज्य का पर्यावरण और वन मंत्रालय,
तथा
रूस में पर्यावरणीय सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय हैं।

भारत में भारत गणराज्य का पर्यावरण और वन मंत्रालय, तथा

रूस में पर्यावरणीय सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय हैं।

अनुच्छेद छह

वर्तमान करार (जिसे इसके पश्चात कार्यदल कहा जायेगा) के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा संबंधी एक विशेष भारत रूस कार्यदल का गठन किया जायेगा। कार्यदल की दो वर्ष में बारी-बारी से मास्कों और नई दिल्ली में एक बैठक होगी

और यह इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सहभागी संगठनों के साथ सहयोग, समन्वय की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जांच करेगा। और एक स्वीकार्य प्रक्रिया के जरिए पक्षकारों की सिफारिश करेगा।

कार्यदल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर विद्यमान भारत रूसी अन्त-सरकारी आयोग के तहत कार्य करेगा।

प्रत्येक पक्षकार कार्यदल के एक सह अध्यक्ष को नामित करेगा और रूस सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समेकन करेगा।

वयावहारिक कार्य एक कार्य योजना के आधार पर किया जायेगा जिसके सहयोग के कार्यक्रमों के अनुसार दो वर्ष के अवधि के लिए तैयार किया जायेगा।

अनुच्छेद सात

बैद्धिक सम्पत्ति अधिकारों द्वारा सुरक्षित न की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना जो वर्तमान करार के अंतर्गत सहयोग के परिणामस्वरूप संचय हो सकती है जिसमें वह सूचना शामिल नहीं है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या वाणिज्यिक तथा औद्योगिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए खुलासा नहीं किया जा सकता, के बारे में जब तक दोनों देश सहमत न हो जाए, सहभागी संस्थाओं और संगठनों की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार सामान्य चैनलों के जरिए किया जा सकता है।

सहयोग की वित्तीय शर्तें संयुक्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रत्येक मामलें में पक्षकारों द्वारा विचारार्थ विषय होगा।

अनुच्छेद आठ

वर्तमान करार से अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों और करारों, जिसमें से एक पक्षकार हों के अन्तर्गत पक्षकारों के अधिकार एंव शर्तें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुच्छेद नौ

यह करार इस पर हसताक्षर करने के तारीख से लागू हो जायेगा और पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगो और अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को करार को समाप्त करने की तारीख से कम से कम छह मास पहले सूचित न करे।

इस करार की समाप्ति से वर्तमान करार के आधार पर उन संधियों और करारों के अंतर्गत उन गतिविधियों को पूरा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इसकी समाप्ति की तारीख तक पूरे न हुए हों।

अनुच्छेद दस

वर्तमान करार की व्याख्या या अप्रयोग से संबंधित विवादों, जिन्हें समन्वय के लिए उत्तरदायी एजेंसियों सहयोग संगठन के बीच सहमति की भावना से हल नहीं किया जा सकता है, को पक्षकारों के बीच परामर्श करके हल किया जायेगा।

अनुच्छेद ग्यारह

दोनों पक्षकारों की लिखित परास्परिक सहमति से इस करार को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

मास्को में 30 जून, 1994 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ जिसका प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रमाणिक है। मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगी।

भावी गणराज्य की सरकार की ओर से — रूस संघ की सरकार की ओर से

News-item captioned "Pollution Board and Ministry at Loggerheads"

4489. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Pollution Board and Ministry at loggerheads", appearing in "The Hindustan Times", dated the 12th March, 1997; and

(b) if so, the reaction of Government therto?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. The Technical and Scientific Officers 'Association of Central Pollution Control Board (CPCB) have submitted representations to the Ministry seeking introduction of Flexible Complementing Scheme (FCS) in the CPCB. The Ministry of Environment and Forests have taken up the matter regarding extending this scheme to the CPCB with the Department of Personnel and Training.

दिल्ली में दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध

4490. **श्री रामजीलाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में दो-पहिया तथा तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से